

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------

६/१२/२५ फावली पेश हुई । वकील प्रार्थीया उप० । बहल चुनी गई । फावली वाले काउंस प्रा० पत्र दिनांक २६/१२/२५ को पेश ही ।

[Signature]
16/12/2024

२५/१२/२५ फावली पेश हुई । वकील प्रार्थीया उप० । बहल प्रा० पत्र u/s २१२ RT Act के कार्रवाई में फावली का अवलोकन किया गया । द्वारा - २१२ RT Act के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए प्रा० पत्र को निम्न ०३ बिन्दुओं पर आँचना आवश्यक है:-
एवं सुविधा का संतुलन

(अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- ग्राम प्राप्ति द्वारा

बहल के दौरान कथन किया कि ग्राम माथिया की वाडग्रस्त आराजी स्वता ए० ५७० किता ॥ स्वता २-४०७६ hae अप्राचीण के पिता रामप्रताप पुत्र गणु के स्वते वर्क रिकार्ड थी । स्वतेदार रामप्रताप एक उक्त आराजी से सै ख० न० १६९०/११३४ रकबा ०-२७४२ hae ग्राम को जारी राज्प विक्रय पत्र दिनांक ०२/०६/२०११ को प्राप्ति को ५००००/- रुपये में बँचान कर कब्जा सौंप दिया था । मी ल प्राप्ति लगातार शांति पूर्ण कब्जा काश्त चली आ रही है लेकिन वाडग्रस्त ग्राम बैंक के पक्ष में रहे वर्क होने से प्राप्ति के पक्ष में नामान्तरण नहीं खुल पाया था । स्वतेदार रामप्रताप के पति होने के बाद राजस्व मापको व ग्राम पंचायत विनातधी की जांच किये प्राप्ति के स्वाधिक व कब्जे काश्त की ग्राम ख० न० १६९०/११३४ का भी इतकात उनके वारिसान - अप्राचीण के नाम खोल दिया जमाबंदी से नाम या नामान्तरण एक fiscal proceedings है जो सिर्फ राजस्व लगान



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम की में जज
	<p> निधारण के लिये तैयार की जाती है, इससे संपत्ति के स्वामित्व का निधारण नहीं होता है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्राप्ति के पक्ष में है। अप्राप्तिगण अपने नाम दर्ज होने मात्र का अनुचित लाभ उठाकर ना केवल BANK से RCC लिया है बल्कि खुद खुद करने पर भी आसता है अतः सुविधा संतुलन की प्राप्ति के पक्ष में है। </p> <p> ग्राम प्राप्ति की वही के परिप्रेक्ष्य में खाली का अवलोकन किया गया। प्राप्ति द्वारा पैदा राज्य विक्रय पत्र दिनांक 02/6/2011 से स्पष्ट है कि प्राप्ति द्वारा ग्राम माफिया की वादग्रस्त भूमि खण्ड नं० 1690/1134 '20 नं० 1135 खण्ड 1-02 वीधा भूमि के रामप्रताप पुत्र बापूलाल डोगी से 40000/- रुपये में क्रय का स्वामित्व व कब्जा प्राप्त कर लिया था। प्राप्ति के शपथ पत्र के अनुसार भूमि के रजिस्ट्रेशन होने से इतकाल नहीं खुल पाया था। रामप्रताप के ध्यान होने के बाद राज्य मामलों व ग्राम पंचायत द्वारा अन्य भूमि के साथ-साथ वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण भी अप्राप्तिगण/वारिसान के पक्ष में करवाकर रजिस्ट्रेशन कर दिया जा कि विधि विमल है। यह सही है कि जमावड़ी की शर्तों के केवल राज्य/मामलों के लिये एक fiscal entree है जिससे title तय नहीं किया जा सकता है। अप्राप्तिगण का नावजूद सूचना न्यूनता में उपलब्ध नहीं होना भी प्राप्ति के कथनों को अप्रत्यक्ष समर्थन करता है। अतः यदि अप्राप्तिगण सिर्फ राज्य रिकार्ड में नाम दर्ज होने मात्र का अनुचित लाभ उठाकर किसी के पक्ष में </p>	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
---------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------

रहन create करते हैं या वाइप्रल ग्राम का
wastage / alienated की धमकी देते हैं तो
प्राथम्य का कार्यवाही प्रत्यक्ष होगी।

उन प्रकार प्रथम रूप से एन
सुविधा का लक्षण दोनों प्राथम्य के पक्ष में
साबित होते हैं।

(2) अपुरीय शक्ति :- प्रकार प्रथम रूप से एन
सुविधा का लक्षण दोनों प्राथम्य के पक्ष में
हैं। यदि अपुरीय द्वारा वाइप्रल स्थल
की बिना विचार प्राथम्य के HDFC BANK से
रहन create कर KCC करिया है ग्राम BANK
ने की title and possession की प्राथम्य किसे
बिना जरा sanction किया है। ऐसा करना
या झुठे झुठे की धमकी देना प्राथम्य का
अपुरीय शक्ति कारित करेगा।

उपरोक्त विवेचन व विवेचना के आधार
पर प्राथम्य का फाउ का 4/5 RT Act
स्वीकार किया जाता है। अपुरीय की लक्ष्य
शेड्यूल निषेधाता ताकें लामाबू लवास इस आधार
ले पावें किया जाता है कि वे ग्राम
माधन्या की वाइप्रल शराम्ब खडन 1690
रकबा 0.278hae का किसी भी प्रकार का संतरण
नहीं करे। राफल रिकार्ड व सों की यथा
स्तिथि बनाये रखे। SRO ऐसा शेड्यूल संतावण
पंजीमत नहीं करे। कावली कैलम कुमा
लेख नम्बर ले कम होकर मूलवास के लिये
लक्षण वी।

[Signature]

26/12/2024
उपखण्ड अधिकारी

पिडवा, जिला झालावाड (राज.)

